बिहार राज्य में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत अन्य श्रेणी हेतु 40 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सभी वर्ग की महिला हेतु 60 प्रतिशत अनुदान पर योजना का लाभ लेने हेतु

शपथ पत्र

अवयव का नाम ....

मैं श्री/सुश्री/श्रीमति ....पिता/पति ....

पोस्ट .... थाना .... प्रखण्ड .... जिला ....

का स्थायी निवासी हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि–

- मेरे द्वारा योजनान्तर्गत निर्धारित इकाई लागत तथा अनुदान राशि के अंतर राशि का वहन स्वयं किया जाएगा।
- मेरे द्वारा परम्परागत मछुआरो के लिए चलायी गयी चयनित अवयव अंतर्गत लाभुक हेतु निर्धारित अंशदान ससमय जमा किया जाएगा।
- मेरे द्वारा योजनान्तर्गत निर्धारित इकाई लागत से अधिक राशि के व्यय होने पर अतिरिक्त राशि का वहन स्वयं किया जाएगा।
- मेरे द्वारा योजनान्तर्गत विभाग द्वारा समय समय पर जारी अनुदेश/सलाह का पालन किया जाएगा।
- मेरे द्वारा योजना के कार्यान्वयन के क्रम में किसी भी प्रकार की क्षति/घाटा/दुर्घटना होने पर किया गया दावा मान्य नहीं होगा।
- मेरे द्वारा प्राप्त अनुदान का उपयोग निर्धारित योजना के क्रियान्वयन हेतु किया जाएगा।
- मेरे द्वारा चयनित अवयव का संचालन निम्नवत् निर्धारित न्यूनतम अवधि तक नियमानुसार किया जाएगा–
    - ➢ मत्स्य विपणन संबंधी अवयवों यथा दो पहिया, तीन पहिया, साईकिल, इन्सुलेटेड वाहन, रेफ्रिजेरेटेड वाहन एवं मोबाइल फिश किऑस्क आदि योजनाओं में प्राप्त वाहन का प्रयोग मत्स्य विपणन हेतु न्यूनतम 15 वर्षों तक।
    - ➢ बॉयोफ्लॉक, फिश फिड मील, फिश किऑस्क, हैचरी, रिक्रिएशनल फिशरीज का प्रोमोशन, कोल्ड स्टोर/आइस प्लांट, जिन्दा मछली विक्रय केन्द्र, लघु, मध्यम एवं समेकित अलंकारी मछलियों का संबर्द्धन इकाई का संचालन न्यूनतम 5 वर्षों तक।
    - ➢ आर0 ए0 एस0 (RAS), बॉयोफ्लॉक इकाई, नया/रियरिंग तालाब, जलाशयों/आद्रभूमि में अधिष्ठापित केज का प्रयोग न्यूनतम 3 वर्षो तक।
    - ➢ परम्परागत मछुआरों हेतु चलायी जाने वाली योजनाओं में परम्परागत मछुआरा होने का प्रमाण।
- योजनान्तर्गत प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ (जो लागू हो) किस्त अनुदान प्राप्त करने के पश्चात् अगर मेरे द्वारा कतिपय कारणों से योजना पूरी नहीं की जाती है, अथवा योजना से संबंधित अंतिम आंकड़ा, पंजी आदि कार्यालय में समर्पित नहीं किया जाता है, तो उस परिस्थिति में मेरे द्वारा प्राप्त अनुदान की राशि वापस की जायेगी अन्यथा राशि की वसूली हेतु विभाग द्वारा मेरे विरूद्ध नीलाम–पत्र वाद दायर किया जायेगा। साथ ही मुझे काली सूची में डाल दिया जायेगा एवं भविष्य में किसी विभागीय योजना का लाभ देय नहीं होगा।
- मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी/सूचनायें तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी दस्तावेज/कागजात/ प्रमाण – पत्र आदि सही है। अगर किसी भी चरण/स्तर पर मेरे द्वारा दी गयी जानकारी/दस्तावेज/कागजात/प्रमाण – पत्र गलत पाया जाता है तो विभाग कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

गवाह– **हस्ताक्षर.–**

*** शपथ पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति तथा अन्य सभी दस्तावेज/प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न एवं अॅपलोड करें ।**